

77

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12018 पुनरीक्षण R-1362-III/14

0759422-

श्री जितेंद्र सागी, कोमिठ
द्वारा दिनांक 28-4-14
को प्रस्तुत।

28.4.14
A-50

Signed as per...

भाक्तप्रसाद सौनी पुत्र श्री कंशीलाल सौनी,
आयु 72 वर्ष, बकाय रिटायर्ड अध्यापक,
निवासी वार्ड नं० 12 खिलचीपुर, जिला राजाढ़
--- आवेक

वनाम

- १) वल्लभ सौनी पुत्र कंशीलाल सौनी, आयु 66 वर्ष,
निवासी वार्ड नं० 12 खिलचीपुर, जिला राजाढ़
- २) कद्रीलाल सौनी पुत्र कंशीलाल सौनी, आयु 60 वर्ष,
- ३) श्रीमती सुनीताबाई पति अशोक सौनी, आयु 80 वर्ष,
- ४) मनीष पुत्र स्व० अशोक सौनी, आयु 29 वर्ष,
- ५) मीनू पुत्र स्व० अशोक, आयु 29 वर्ष,
- ६) कु० पूनम पुत्री स्व० अशोक सौनी, आयु 28 वर्ष,
निवासीगण-वार्ड नं० 12 खिलचीपुर, जिला राजाढ़
क्रमांक ५ नावालि क्वारपरस्ती माँ श्रीमती सुनीताबाई
- ७) श्रीमती पति शिवनारायण पुत्री कंशीलाल, आयु 66 वर्ष
निवासी पुराने थाने के सामने, राजाढ़
- ८) श्रीमती सुमन पति श्री रमेश सौनी पुत्री कंशीलाल,
आयु 82 वर्ष, निवासी इन्दौर नाके के पास,
ब्यावरा, जिला राजाढ़ (म०प्र०)

क्रमांक ७ व ८ प्रीफामाई अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1956
विरुद्ध आदेश दिनांक 28-8-18 पारित द्वारा श्री नारायण
वर्मा, नायव तैलसीलदार खिलचीपुर, जिला राजाढ़, प्रकरण क्रमांक
101 स. 11 13-18 कउनवान वल्लभ सौनी वनाम भाक्तप्रसाद आवेदक

(Handwritten signature)

र
रि
ना
के
प
से 6
द्वारा
जा
पत्र अन्तर्गत
जावाव हेतु
आवेदकगण
रा, जिला
में रहे,
दिनांक की
पुनः प्रकरण
जावाव हेतु
तथा उसके

(Small handwritten notes)


न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./1362/तीन/2014

जिला राजगढ़

भगवत प्रसाद विरुद्ध बल्लभ सोनी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार परगना खिलचीपुर जिला राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 10/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24/4/2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 16/7/19 को कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p> (आर०के० जैन) सदस्य</p> <p>28/5/19</p>	